(72)

प्रदर्श – ''स''

//प्रमाण पत्र//

आवेदक उप अभियंता, दूर संचार परियोजना रायपुर(छ0ग0) के द्वारा भारत सरकार के योजना तहत् छत्तीसगढ़ में उच्च गति के दूरसंचार कनेक्टीवीटी के लिये ऑप्टिकल फायबर बिछाने हेतु बस्तर जिला के बस्तर वनमंडल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भानपुरी(जूनावाही), तहसील बस्तर में प्रस्तावित खसरा क्रमांक 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 93, 95, 100 रकबा क्रमशः 1.49, 1.10, 1.39, 0.95, 0.44, 0.37, 0.22, 1.67, 1.15, 0.10, 0.07 हे0 कुल रकबा 8.95 हे0 में से 0.052 हे0 राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम् 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1/ प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि रकबा 0.052 हे0, जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम भानपुरी(जूनावाही), तहसील बस्तर में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

2/ ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 12.07.2022 (प्रदर्श–ब) पर दर्शित है।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत भानपुरी में सरपंच श्रीमती मुगई बघेल की अध्यक्षता में ग्राम सभा का बैठक दिनांक 12.07.2022 को रखा गया था। उक्त बैठक में ग्राम सभा तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र उपरोक्त अधिनियम के तहत् वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0 में)
1.	भानपुरी(जूनावाही)	निरंक	निरंक

4/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए, उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

5/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जांच प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 12.07.2022 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन राजस्व वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार ''अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006'' की धारा 3(1)(e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।

6/ जांच प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा प्रस्ताव के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

दिनांक :– 09 /11/2022 ।

(चंदन कुमार)
कलेक्टर
अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति
जिला बस्तर(छ0ग0)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला बस्तर (छ.ग.)